झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची ।

<u>खण्ड-1</u>

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड अधिनियम संख्या-01, 2001 की धारा-(IV) का संशोधन ।
3. झारखण्ड अधिनियम संख्या-01,2001 की धारा (V) का संशोधन ।
4. झारखण्ड अधिनियम संख्या-01,2001 की धारा (VI) का संशोधन ।
5. झारखण्ड अधिनियम संख्या-01,2001 की धारा (VII) का संशोधन ।

झारखण्ड विधान-मंडल
(पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता)
(संशोधन) विधेयक, 2005
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड विधान मण्डल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001

झारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का अवधारण करने के लिए अधिनियम:-

भारत गणराज्य के छप्पनवे वर्ष मे झारखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-**
   (i) यह झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **झारखण्ड अधिनियम-01 की धारा IV का संशोधन :-** झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा IV के द्वितीय पंक्ति में शब्द समूह जोड़े जायेंगे ।

   ''हवाई यात्रा एवं जलपोत से यात्रा करने के समय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी ।''

3. झारखण्ड अधिनियम 2001 (अधिनियम संख्या-01, 2001) की धारा-(V) का संशोधन:-झारखण्ड विधान मंडल पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) में **क्षेत्रीय भत्ता** में परिवर्त्तन कर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए ''4000/- (चार हजार) रु०'' के स्थान पर ''8000/- (आठ हजार) रु०'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. झारखण्ड अधिनियम 01, 2001 की धारा-VI कंडिका-'क' एवं 'ख' का संशोधन:-झारखण्ड विधान मण्डल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा-VI की कंडिका-'क' में अंक ''8,000/- (आठ हजार)'' रुपये के स्थान पर ''11,000/- (ग्यारह हजार)'' रुपये एवं धारा-VI की कंडिका-'ख' में अंक ''5,000/- (पाँच हजार)'' रुपये के स्थान पर ''8,000/- (आठ हजार)'' रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

5. झारखण्ड विधान मंडल पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 01, 20011) की धारा-VII में (यथा संशोधित द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2002, झारखण्ड अधिनियम-15, 2002) की धारा- VII में ''विधान मंडल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को **चिकित्सा भत्ता** के रूप में ''2000/- (दो हजार) रु०'' के स्थान पर ''3000/- (तीन हजार) रु०'' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।